गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/छात्रावास(संधा.)–31–01/2010– 52

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)।

पटना, दिनांक 16.11.16

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹ 18,63,620/–(अठारह लाख तिरसठ हजार छः सौ बीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में प्रथम चार माह के लिए अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹3,54,27,365/– एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹38,98,560/– अर्थात कुल ₹3,93,25,925/–(तीन करोड़ तिरानवे लाख पचीस हजार नौ सौ पच्चीस रूपये) मात्र का आबंटन विभागीय आबंटनादेश संख्या–11 दिनांक–13/5/2016 एवं शेष आठ माह के लिए अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹ 5,94,61,600/– एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹69,14,140/– अर्थात कुल ₹6,63,75,740/–(छः करोड़ तिरसठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ चालीस रूपये) मात्र का आवंटन विभागीय आबंटनादेश संख्या–25 दिनांक–21/07/2016 दिया गया है। उसी क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–431 दिनांक–19.09.16 से माँग के आलोक में कुल ₹18,63,620/–(अठारह लाख तिरसठ हजार छः सौ बीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

2– **संलग्न विवरणी** के लिये कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना आय–व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0002–छात्रावासों का संधारण,–विषय शीर्ष–0101 वेतन, 0103–जीवन यापन भत्ता, 0104–मकान किराया भत्ता– मांग सं0–44–विपत्र कोड संख्या–N2225012770002 के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे तथा उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17–4–98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार पटना को दी जा रही है ।

6– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2016–17 मे गैर योजना अन्तर्गत अनु0 जाति के लिए छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में **अतिरिक्त आवंटन।**

क0 सं0	जिला का नाम	वेतन एवं भत्ते			वेतन– योग (3 से 7 तक)	सामग्री एवं पूर्तियां	कार्यालय व्यय	किराया महसूल एवं कर	विद्युत्त प्रभार	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं	कुल आवंटित राशि (8 से 12 तक)
		वेतन	जी0या0 भत्ता	मकान किराया भत्ता							
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	788000	1016520	59100	**1863620**	0	0		0	0	**1863620**
	योग	**788000**	**1016520**	**59100**	**1863620**	**0**	**0**	**0**	0	0	**1863620**

(अठारह लाख तिरसठ हजार छः सौ बीस रू0) मात्र

15.11.16

सरकार के सचिव ।

पत्रांक 57 दिनांक 16.11.16 का अनुलग्नक